झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–04

द्वादश (मानसून) सत्र
बुधवार, दिनांकः–02 अगस्त, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 3:02 अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. सूचना

1. माननीय सदस्या श्रीमती नीरा यादव ने सूचना दिया कि प्रश्नों का उत्तर समुचित तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रश्नों का सही उत्तर दिलाने की कृपा की जाय।
2. माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो ने सूचना दिया कि झारखण्ड के मजदूरों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर गलत तरीके से मजदूरी करायी जाती है और इस दौरान उसका शोषण किया जाता है । कई मजदूरों की मौत की सूचना मिली है, जिन्हें कोई मुआवजा भी प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसे लोग जो इस कार्य में संलिप्त हैं, उसकी जाँच कराकर संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाय।
3. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने सूचना दिया कि केन्द्र सरकार ने राज्य के हिस्से की राशि को रोक रखा है। इसके लिए सभी सदस्य मिलकर केन्द्र के ऊपर दबाव बनाने व प्रस्ताव भेजने का कार्य करें, ताकि राज्य के हिस्से की राशि हमें प्राप्त हो सके।
4. माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो ने सूचना दिया कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसके लिए सदन से एक निंदा प्रस्ताव पारित कर भेजा जाय।

(आसन के द्वारा माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा, श्री दीपक बिरूवा एवं डॉ0 लम्बोदर महतो को अधिकृत किया गया कि धरने पर बैठे माननीय सदस्य श्री किशुन कुमार दास को ससम्मान सदन के अंदर ले आवें।)

2. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–19

(क) उत्तरित कुल–01 — अ०सू०–15, सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0

(ग) अनागत कुल–18 — क्रम संख्या–62 से 79 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–59

(घ) अनागत कुल–59 — क्रम संख्या–79 से 137 तक।

(शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण 11:13 पूर्वा० में 20 मिनट अर्थात् 11:33 पूर्वा० तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(पुनः शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण 12:30 अप० तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्रीमती सबिता महतो	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
श्री निरल पुरती	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री सोनाराम सिंकू	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
श्री राम चन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री सरयू राय	स0वि0स0
श्री रामदास सोरेन	स0वि0स0
श्री अमित कुमार यादव	स0वि0स0
श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स0वि0स0
श्रीमती सुनिता चौधरी	स0वि0स0

4.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिये गये कार्यस्थगन की प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा नियमानुकूल नहीं होने के कारण इन्हें अमान्य कर दिया गया।

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(1. माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम ने सूचना दिया कि उनके द्वारा अवैध क्रशर एवं खनन विषयों पर लगातार प्रश्न उठाये जाने के कारण जान–माल पर खतरा होने की संभावना देखते हुए इस सम्बन्ध में डी.जी.पी., झारखण्ड एवं केन्द्र सरकार को भी पत्र दिया, जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली गयी है। इसके निमित्त 15 दिनों के अंदर समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आसन से आग्रह किया गया, जिसपर आसन द्वारा माननीय मंत्री को संज्ञान लेने का निदेश दिया गया।

क्र0 पृ0 30 —

2. माननीय सदस्य श्री दिनेश विलियम मराण्डी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 400 किमी से सदन की बैठक में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, लेकिन प्रश्नों का जवाब सही ढंग से नहीं मिलता है।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6.विधायी कार्य

(i) आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02 से 09'', ''खण्ड–10'', ''खण्ड–11–46'' अनुसूची, ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ''प्रवर समिति'' में भेजे जाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य श्री सरयू राय के द्वारा ''खण्ड–10(3)'' पर संशोधन के प्रस्ताव उनके सदन में अनुपस्थिति के कारण अस्वीकृत हुआ।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **"आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** स्वीकृत हुआ।

(ii) सी0वी0 रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02 से 10'', ''खण्ड–11'', ''खण्ड–12–44'', ''अनुसूची'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ''प्रवर समिति'' में भेजे जाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी के सदन में अनुपस्थिति के कारण ''प्रवर समिति'' को भेजे जाने का उनका प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। साथ ही माननीय सदस्य श्री सरयू राय के द्वारा ''खण्ड–11(3)'' पर संशोधन के प्रस्ताव उनके सदन में अनुपस्थिति के कारण अस्वीकृत हुआ।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **"सी0वी0 रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** स्वीकृत हुआ।

(iii) कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ''प्रवर समिति'' में भेजे जाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

ह0 प्र0 उ0

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **"कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023"** स्वीकृत हुआ।

(iv) झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के "खण्ड–02", "खण्ड–01", "प्रस्तावना" तथा "नाम" बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो एवं श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को "प्रवर समिति" में भेजे जाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य श्री सरयू राय के द्वारा "खण्ड–02" पर संशोधन के प्रस्ताव उनके सदन में अनुपस्थिति के कारण अस्वीकृत हुआ।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **"झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023"** स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक–03 अगस्त, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–02 अगस्त, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।